न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 13/2015(जी.सी.एम.एस. 2015/00164)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. लखविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. रविन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरदयाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 जी डी तहसील घड़साना। 2. बन्ता सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 17 एम डी तहसील घड़साना। 3. मक्खन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी गली नम्बर 12 मन्दिर वाली गली टीजीएम बुटिक के पास कोटकपुरा रोड, मुक्तसर साहिब पंजाब। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू 01.05.2015

उपस्थित: 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण
2.श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांक: 08.05.2024

--निर्णय--

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर जमाबंदी सम्वत 2011 ता 2014 के खाता संख्या 6 के मुरब्बा नम्बर 84 सालम वादीगण के पिता गुरनाम सिंह व प्रतिवादीगण के पिता प्रीतम सिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 84 बदलकर 04 हो चुका है। वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता ने काश्त सहुलियत हेतु अपने-अपने हिस्सा की भूमि का घरू बंटवारा करके अपने-अपने हिस्सा के रकवा पर शुरू से ही काविज काश्त हो गये। घरू वाहमी बंटवारा में वादीगण के पिता को मुरब्बा नम्बर पुराना 84 नया 04 के किला नम्बर 13 आधा, किला नम्बर 14, 15, 1 ता 10 प्रत्येक सालम-सालम कुल 12-1/2 बीघा भूमि प्राप्त हुई। इसी अनुसार वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता काविज काश्त हो गये। गुरनाम सिंह व प्रीतम सिंह के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण उनके उक्त हिस्से पर उपर्युक्तानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। पी.डब्ल्यू.डी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता प्रीतम सिंह के हिस्से की भूमि मुरब्बा नम्बर पुराना 84 नया 04 के किला नम्बर 11, 20 प्रत्येक के दो-दो बिस्वा, किला नम्बर 21 के 13 बिस्वा, किला नम्बर 22 के दो बिस्वा, किला नम्बर 23 के तीन बिस्वा, किला नम्बर 24 के दो बिस्वा, किला नम्बर 25 के तीन बिस्वा कुल 27 बिस्वा रकबा में से सडक हेतु भूमि अवाप्त कर ली, इसी प्रकार वादीगण के पिता गुरनाम सिंह की भूमि मुरब्बा नम्बर पुराना 84 नया 04 के किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक में से 2-2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा भूमि सडक हेतु अवाप्त कर ली। इस प्रकार गुरनाम सिंह की 4 बिस्वा भूमि व प्रीतम सिंह की 27 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में कटौती न करके गुरनाम सिंह के हिस्से में से गलत तौर पर 15-1/2 बिस्वा तथा प्रीतम सिंह के हिस्सा में से 15-1/2 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। जिसका गुरनाम सिंह को कोई क्लेम नहीं मिला। उक्त त्रुटि का ज्ञान वादीगण को आज से दो माह पूर्व पटवारी हल्का से हुआ तो वादीगण द्वारा तमाम कागजात प्राप्त कर दुरूस्ती हेतु दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम करके अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने दावा डायरी से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से मिलकर कहा कि वे 12 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज करवा देवे और खाता तकसीम करवा लेवे। तो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 46 एफ के मुरब्बा नम्बर पुराना 04 के किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक 18-18 बिस्वा, किला नम्बर 2 ता 9, 14, 15 सालम-सालम, किला नम्बर 13 के 10 बिस्वा कुल 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि का खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार भूमि अवाप्ति का अवार्ड सन् 1964 में जारी किया गया था। जिसके अनुसार दावा अवार्ड से 51 वर्ष बाद पेश किया गया है। इससे दावा मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादगत भूमि के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांक राजस्व/15/1978 दिनांक 01.03.2016 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र एतराज पटवारी रिपोर्ट एंव तहसीलदार रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर पुनः रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिए गए। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांक 255 दिनांक 30.01.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई सामिल मिसल की गई। तनकीयात कायम की गई। वादीगण जीत सिंह, लखविन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण गुरदयाल सिंह जरिए मुखत्यारेआम कुलविन्द्र सिंह, सरबन सिंह, बन्ता सिंह ने न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार वादीगण जीत सिंह, लखविन्द्र सिंह, जसविन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह को चक 46 एफ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 9 सालम-सालम, किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टेयर कुल 3.112 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 सरबन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह चक 46 एफ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 11 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.215 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.108 हैक्टेयर कुल 2.716 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 गुरदयाल सिंह को चक 46 एफ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 25 की 0.107 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता व लगान कायम किया जावे तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 2 बन्ता सिंह के नाम दर्ज 0.024 हैक्टेयर भूमि जीत सिंह के परिवार को सहमति से छोड दी है। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में साक्ष्य न ली जाकर दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिए जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजीनामा पेश किया जा चुका है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी आराजी का राजीनामा अनुसार तकासमा चाहते है।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर गौर किया गया। लिहाजा माफिक राजीनामा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री इस अमर की जारी की जाती है कि चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 13/6 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 5.935 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	जीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। लखविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। राजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। रविन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (3.112 हैक्टेयर)	46 एफ	4	1 2 ता 9 10 13 14 15	0.228 हैक्टेयर 2.024 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.03 18.00 2.03 1.12 2.25 2.25
2	सरवन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौड़ा तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी गली नम्बर 12 मन्दिर वाली गली टीजीएम बुटिक के पास कोटकपुरा रोड, मुक्तसर साहिब पंजाब। (2.716 हैक्टेयर)	46 एफ	4	11 12 13 16 ता 19 20 21 22 23 24 25	0.228 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.089 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.108 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.03 2.25 1.13 9.00 2.03 0.79 2.03 1.91 2.03 0.96
3	गुरदयाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 जी डी तहसील घडसाना।(0.107 हैक्टेयर)	46 एफ	4	25	0.107 हैक्टेयर	नहरी	0.95

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
	जीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। लखविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। जसविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। राजेन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। रविन्द्र सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (3.112 हैक्टेयर)	46 एफ	4	1 2 ता 9 10 13 14 15	0.228 हैक्टेयर 2.024 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.03 18.00 2.03 1.12 2.25 2.25
2	सरवन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी गली नम्बर 12 मन्दिर वाली गली टीजीएम बुटिक के पास कोटकपुरा रोड, मुक्तसर साहिब पंजाब। (2.716 हैक्टेयर)	46 एफ	4	11 12 13 16 ता 19 20 21 22 23 24 25	0.228 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.089 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.108 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.03 2.25 1.13 9.00 2.03 0.79 2.03 1.91 2.03 0.96
3	गुरदयाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 जी डी तहसील घडसाना।(0.107 हैक्टेयर)	46 एफ	4	25	0.107 हैक्टेयर	नहरी	0.95

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)